अपील 1/17 मुकन्ददास राठी / मुरल सागैगवा, आम्बेला D.F.C.C.
(2017/00149)

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील अधि: लहू व्यायालय
24-5-19	पत्रावली पेश हुई । परिवादी अधिवक्ता उप0। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य0प्र0सं0 D.F.C.C.I.L. पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलाई गई । बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई । प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र जो उनके द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय 12.9.18 की पालना करने बाबत आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किया गया था, पर भी बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई । पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व रखी जाती है । संभागीय आयुक्त अजमेर
29-5-19	पत्रावली आंज निर्णयार्थ पेश हुई । अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस दिनांक 24.5.2019 में कमोबेश अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य0प्र0सं0 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया था कि उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा ख0सं0 1051, 1053 व 1057 के अधिग्रहण में पारित अवार्ड तय किये गये मुआवजा राशि से असहमत होने पर प्रार्थी पक्ष ने आर्बीट्रेटर के समक्ष अन्तर्गत धारा 20 एफ (6) रेल्वे अधि0 नियम में उक्त प्रकरण प्रस्तत किया जिसमें पारित निर्णय/ दिनांक 7.9.12 के विरूद्व मान0 जिला अपर जिला न्यायाधीश कमांक 1 अजमेर के समक्ष अन्तर्गत धारा–34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 (यथा संशोधित) जो आवेदन प्रस्तुत किया गया वह माननीय अपर जिला न्यायाधीश कमांक 1 अजमेर द्वारा स्वीकार कर उन्होने निर्णय दिनांक 22.12.2016 से प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु आर्बीट्रेटर को रिमाण्ड कर दिया व आर्बीट्रेटर का निर्णय/ आदेश दिनांक 7.9.2012 निरस्त कर दिया। मान जिला अपर जिला न्यायाधीश कमांक 1 अजमेर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनाक 22.12.16 के विरूद्व मौजूद प्रार्थी द्वारा माननीय राज0 उच्च. न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एस0बी0 विविध अपील नं0 1065/2017 बउनवान मुकन्ददास राठी बनाम D.F.C.C.I.L प्रस्तुत करी जो दिनाक 12.9.2018 को स्वीकार कर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 1 अजमेर का निर्णय दिनांक-22.12.2016 निरस्त कर दिया व निर्देश जारी किये । दिनांक 12.9.2018 के माननीय राज0 उच्च. न्यायालय जयपुर पीठ के निर्णय के विरूद्व प्रार्थी D.F.C.C.I.L. ने मान0 उच्चतम न्यायालय में S.L.P. प्रस्तुत की गई जो बिना गुणावगुण को निर्णय करें अस्वीकार की गई और जिसके कम में माननीय राज0 उच्च. न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष रिव्यू सं0 21900/2019 विचाराधीन है अतः उक्त स्थिति में "lis" अभी जीवित है व लम्बित है आदेश / निर्णय दि0 12.9.2018 अन्तिम नहीं हुआ है अतः पत्रावली संरक्षित रखी जावें। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य0प्र0सं0 का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज फरमाया जावें क्योकि संबंधित न्यायालय हाजा की पत्रावली सदैव संरक्षित ही रहती है। प्रस्तुत प्रकरण में मात्र एस0डी0ओ0

संभागीय आयुक्त
अजमेर

ख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।

ब्यावर की मूल पत्रावली न्यायालय हाजा द्वारा उन्हे लौटावे जानी है, ताकि वर्तमान में आर्बीट्रेटर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.9.12 की पालना हो सके। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में S.L.P. के निर्णय उपरान्त मान0 राज0 उच्च. न्यायालय जयपुर पीठ का निर्णय दिनांकित 12.9.2018 यथावत रहने से और माननीय जिला अपर जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 अजमेर का निर्णय दिनांक 22.12.2016 निष्प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान में आर्बीट्रेटर द्वारा पारित निर्णय 7.9.2012 प्रभाव में है जिसके द्वारा प्रकरण एस0डी0ओ0 ब्यावर को रिमाण्ड किया गया था और इसी निर्णय की पालना में एस0डी0ओ0 ब्यावर की पत्रावली उन्हे लौटायी जावें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ हो सकें ।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत एक प्रा0 पत्र जो उनके द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय 12.9.18 की पालना करने बाबत आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किया गया था पर अपनी बहस जारी रखते हुए उनके द्वारा कमोबेश प्रार्थना पत्र दिनांकित 8.10.18 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण मान0 जिला अपर जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 अजमेर के निर्णय की पालना में पुनः सुनवाई के लिये आर्बीट्रेटर/संभागीय आयुक्त में निर्धारित चला आ रहा है। माननीय राज0 उच्च. न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर ने एस0बी0 विविध अपील नं0 1065/2017 बउनवान मुकन्ददास राठी बनाम मुख्य परियोजना अधिकारी D.F.C.C.I.L निर्णय दिनांक 12.9.2018 के द्वारा मान0 जिला अपर जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 अजमेर के निर्णय दिनांक 22.12.2016 को निरस्त कर दिया है । अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.9.2018 की प्रमाण्पिा प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि इस निर्णय की अनुपालना में श्रीमान के यहां विचाराधीन प्रकरण जो कि पेशी में निर्धारित चला आ रहा है, को दाखिल दफ्तर किया जावें ।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य0प्र0सं0 दिनांक 14.5.2019 एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तु प्रार्थना पत्र दिनांकित 8.10.2018 वास्ते पालना मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.2.2018 पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र एवं उसके सलंग्न प्रस्तुत माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर बैन्च जयपुर द्वारा एस0बी0सिविल मिसलेनियश अपील नं0 1065/2017 बउनवान मुकन्ददास राठी व अन्य बनाम मुख्य परियोजना अधिकारी डी0एफ0सी0सी0 अजमेर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.9.2018 का अवलोकन किया गया । निर्णयानुसार परिवाद विरूद्व अधिनिर्णय (अवार्ड) सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ब्यावर दिनांक 10.3.2011 अन्तर्गत भारतीय रेल्वे (संशोधन) अधिनियम 2008 के तहत न्यायालय हाजा में दायर परिवाद संख्या– 88/2011 आर्बीटेशन/ब्यावर ब उनवान मुकन्ददास राठी व अन्य बनाम मुख्य परियोजना अधिकारी डेडीकेटेड फ्रंट कोरीडोर अजमेर व अन्य में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 7–9–2012 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को प्रतिप्रेषित किया गया था कि जहां तक परिवादी द्वारा विवाह समारोह स्थल 2 लाख रूपये की लीज डीड पर दिये जाने का प्रश्न है इसके बारे में यद्यपि परिवादी ने रजि0 लीज डीड

सम्भागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रकरण 1/17 मुकन्ददास राठी / मु.प.अ. ...

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम व हुक्म की तारीख जारी हुए
	मार्च 2008 को प्रस्तुत की है एवम् निकट भविष्य में परिवादी को जो हानि होनी है उसका भी स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया है परन्तु इस पर अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है एवम् उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने इस विषय पर अपना कोई निष्कर्ष भी नहीं दिया है । इसलिये सक्षम अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इस विषय पर दोनों पक्षकारों को सुनने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद उपयुक्त निर्णय लें। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–9–2012 के विरूद्ध मुख्य परियोजना अधिकारी डेडीकेटेड फ्रंट कोरीडोर अजमेर द्वारा न्यायालय माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, अजमेर के न्यायालय में प्रकरण दीवानी विविध सख्या 33/2012 (221/12) बउनवान मुख्य परियोजना अधिकारी डेडीकेटेड फ्रंट कोरीडोर अजमेर बनाम मुकन्ददास राठी व अन्य दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, अजमेर द्वारा दिनांक 22–12–2016 को निर्णय पारित किया जाकर आवेदनकर्ता मुख्य परियोजना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 34 माध्यस्थ और सुलह अधि0 1996 विरूद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रूप स्वीकार किया जाकर माध्यस्थम / एकल पंच का निर्णय दिनांक 7.9.2012 (न्यायालय हाजा के निर्णय दिनाक 7–9–2012 को) अपास्त किया जाकर माध्यस्थम / एक पंच को प्रकरण पुनः (न्यायालय हाजा को) प्रति प्रेषित करते हुए आदेश दिया गया कि वह उल्लेखित अनुसार दोनों पक्षों को विधिनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिनुसार निर्णय/अवार्ड पारित करें। अतः न्यायालय माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22–12–2016 की पालना में न्यायालय हाजा में प्रकरण पुनः प्रकरण संख्या 1/2017 (प्रस्तुत प्रकरण–परिवाद) बउनवान मुकन्ददास राठी व अन्य बनाम मुख्य परियोजना अधिकारी डेडीकेटेड फ्रंट कोरीडोर अजमेर व अन्य दर्ज किया जाकर सम्बन्धित दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित अभिलेख तलब किया गया और यही प्रस्तुत प्रकरण सं0 1/17 वर्तमान में विचाराधीन चला आ रहा है । प्रकरण में दिनांक 28–4–2017 की नियत पेशी पर प्रार्थी अभिभाषक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न मुकन्ददास राठी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर में एसबी सिविल विविध अपील संख्या संख्या 1065/2017 बउनवान मुकन्ददास राठी व अन्य बनाम मुख्य परियोजना अधिकारी डेडीकेटेड फ्रंट कोरीडोर अजमेर दायर की गई याचिका में पारित आदेश दिनांक 19–4–2017 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा "कॉल फॉर रेकार्ड व बाद तामिल प्रकरण शीघ्र नियत किये जाने" के आदेश पारित किये गये । प्रार्थना पत्र रेकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण में आगामी दिनाक 7–7–2017 की पेशी नियत की गई । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर में मुकन्ददास राठी द्वारा दायर की गई एसबी सिविल विविध अपील संख्या संख्या 1065/2017 व उनवान मुकन्ददास राठी व अन्य बनाम मुख्य परियोजना अधिकारी डेडीकेटेड फ्रंट कोरीडोर अजमेर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2–5–2017 को जारी व दिनांक 10–7–2017 की नियत पेशी के नोटिस न्यायालय हाजा में दिनांक 10–5–2017 को प्राप्त हुए । उक्त याचिका में न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned by CamScanner

1/17 मुकन्ददास राठी / मुख्य परि. अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
	हाजा की तरफ से दिनांक 17–5–2017 को उपखण्ड अधिकारी ब्यावर जिला अजमेर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर याचिका में दर्ज न्यायालय हाजा रेस्पो0 सं0. 3 की हैसियत से पैरवी करने हेतु लिखा गया । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर में एसबी सिविल विविध अपील संख्या संख्या 1065 / 2017 व उनवान मुकन्ददास राठी व अन्य बनाम मुख्य परियोजना अधिकारी डेडीकेटेड फ्रंट कोरीडोर अजमेर दायर की गई याचिका में पारित आदेश दिनांक 19–4–2017 की पालना में पैरवी हेतु जिला कलक्टर अजमेर के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को प्रभारी अधिकारी एवं तत्पश्चात् जिला कलक्टर अजमेर द्वारा तहसीलदार ब्यावर को प्रभारी नियुक्त करते हुए प्रभारी अधिकारी के माध्यम से न्यायालय हाजा का रिकार्ड माननीय उच्च न्यायालय को भिजवाया गया । माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर बैन्च जयपुर द्वारा एस0बी0सिविल मिसलेनियश अपील नं0 1065 / 2017 बउनवान मुकन्ददास राठी व अन्य बनाम मुख्य परियोजना अधिकारी डी0एफ0सी0सी0 अजमेर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.9.2018 से आक्षेपित आदेश अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के निर्णय दिनांक 22.12.2016 को **quashed and set asid** कर दिया गया है । माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिंनाक 12.9.2018 के मंतव्यनुसार रिट में अंकित रेस्पो0 सं0 1 मुकन्ददास राठी यदि सक्षम अधिकारी के आदेश जो कि लीज डीड की राशि गणना बाबत हैं, के सम्बन्ध में नियमानुसार आपत्ति दर्ज कराने हेतु स्वतन्त्र होगें । उपरोक्त विवेचन उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिंनाक 12.9.2018 के पश्चात प्रकरण में न्यायालय हाजा में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र दिनांक 8.10.2018 वास्ते पालना माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 12.9.18 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य0प्र0सं0 में उनके द्वारा अंकित माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत S.L.P. के निर्णय अथवा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के समक्ष विचाराधीन रिव्यू सं0 21900 / 19 बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य अथवा पारित किसी निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणति हो सकें कि उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत S.L.P. अथवा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर में विचाराधीन रिव्यू सं0 21900 / 19 में कोई अन्तरिम अथवा अन्तिम आदेश पारित किया गया हो और उस आदेश में न्यायालय हाजा को कोई निर्देश प्रदान किये गये हो । अतः अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य0प्र0सं0 दिनाकित 24.5.2019 स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । न्यायहित में परिवादी का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है तथा परिवादी की प्रार्थना पर प्रस्तुत परिवाद को दाखिल दफ्तर किया जाता है । अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर का मूल अभिलेख तत्काल उन्हे लौटाया जावें । पत्रावली नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय से सम्बन्धित पक्षकारान अधिवक्ता को सूचित किया जावें । संभागीय आयुक्त अजमेर	Noted by me 13-6-19

Scanned by CamScanner